(18) (29)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2754–तीन/2014, विरूद्ध आदेश दिनांक 05–07–2014 पारित द्वारा न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल सागर द्वारा प्रकरण कमांक 22अ/2013–14

.....

मोहनलाल पटैल वल्द भग्गू पटैल
निवासी–ग्राम मकरोनियां वुजुर्ग तहसील
10 बी बटालियन रोड़, जिला–सागर, म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती हीराबाई पटैल पत्नी श्री गोपीलाल पटैल,
2– गोवर्धन पटैल वल्द श्री गोपीलाल पटैल,
3– मुन्नालाल पटैल वल्द श्री गोपीलाल पटैल,
4– मोती पटैल वल्द श्री मोग्री पटैल,
निवासीगण– ग्राम मकरोनियां वुजुर्ग तहसील
10 बी बटालियन रोड़, जिला–सागर, म0प्र0
5– मध्यप्रदेश शासन ..... अनावेदकगण

.....

श्री के0एस0 निगम, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदकगण–एकपक्षीय

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/5/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व निरीक्षक, मण्डल सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–07–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि, अनावेदिका श्रीमती हीराबाई द्वारा ग्राम मकरोनियां वुजुर्ग तहसील व जिला–सागर स्थित खसरा नं0 392/1 रकबा 0.387 हैक्टेयर का सीमांकन हेतु संहिता की धारा 129 के तहत् एक आवेदन पत्र न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल, सागर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर पटवारी हल्का नं0 72 में विवादित भूमि खसरा नं0 392/1 रकबा 0.387 हैक्टेयर का सीमांकन पारित आदेश दिनांक 05.07.14 से स्वीकार किया गया । राजस्व निरीक्षक मण्डल, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.14 दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह बताया है कि अनावेदक क्र0 1 ने मौजा मकरोनियां वुजुर्ग तह0 व जिला सागर स्थित खसरा नं0 392/1 रकबा 0.387 हे0 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर राजस्व निरीक्षण ने मौके पर जाकर बिना आवेदक को सूचना दिए सीमांकन की कार्यवाही अवैधानिक रूप से की है । खसरा नं0 392 से लगा हुआ आवेदक की भूमि खसरा नं0 392/2 एवं 390/1 स्थित है । इस कारण आवेदक उक्त सीमांकन का हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार होने के कारण संहिता की धारा 129 में बनाए गए आज्ञापन प्रावधानों के अनुसार उसको सीमांकन की सूचना दी जाना आवश्यक था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा न कर आवेदक की अनुपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही की है । राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 23.06.2015 को सीमांकन की कार्यवाही कर स्थल पंचनामा एवं फील्डबुक नक्शा तैयार किया है । दिनांक 23.06.2014 को तैयार किए गए पंचनामें में राजस्व निरीक्षण ने यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि खसरा नं0 392 के अन्य बटांक नक्शे में नहीं है, अनावेदिका के पुत्र के कहने पर खसरा नं0 392 एवं 390 का अवैधानिक सीमांकन कर मेड़ बताई जाने का उल्लेख किया है । जबकि इस तरह की सीमांकन किए जाने का प्रावधान विधि में नहीं है । राजस्व निरीक्षण द्वारा इसी पंचनामें में यह भी

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि, अनावेदिका श्रीमती हीराबाई द्वारा ग्राम मकरोनियां वुजुर्ग तहसील व जिला–सागर स्थित खसरा नं0 392/1 रकबा 0.387 हैक्टेयर का सीमांकन हेतु संहिता की धारा 129 के तहत् एक आवेदन पत्र न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल, सागर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर पटवारी हल्का नं0 72 में विवादित भूमि खसरा नं0 392/1 रकबा 0.387 हैक्टेयर का सीमांकन पारित आदेश दिनांक 05.07.14 से स्वीकार किया गया । राजस्व निरीक्षक मण्डल, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.14 दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह बताया है कि अनावेदक क्र0 1 ने मौजा मकरोनियां वुजुर्ग तह0 व जिला सागर स्थित खसरा नं0 392/1 रकबा 0.387 हे0 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर राजस्व निरीक्षण ने मौके पर जाकर बिना आवेदक को सूचना दिए सीमांकन की कार्यवाही अवैधानिक रूप से की है । खसरा नं0 392 से लगा हुआ आवेदक की भूमि खसरा नं0 392/2 एवं 390/1 स्थित है । इस कारण आवेदक उक्त सीमांकन का हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार होने के कारण संहिता की धारा 129 में बनाए गए आज्ञापन प्रावधानों के अनुसार उसको सीमांकन की सूचना दी जाना आवश्यक था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा न कर आवेदक की अनुपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही की है । राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 23.06.2015 को सीमांकन की कार्यवाही कर स्थल पंचनामा एवं फील्डबुक नक्शा तैयार किया है । दिनांक 23.06.2014 को तैयार किए गए पंचनामें में राजस्व निरीक्षण ने यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि खसरा नं0 392 के अन्य बटांक नक्शे में नहीं है, अनावेदिका के पुत्र के कहने पर खसरा नं0 392 एवं 390 का अवैधानिक सीमांकन कर मेड़ बताई जाने का उल्लेख किया है । जबकि इस तरह की सीमांकन किए जाने का प्रावधान विधि में नहीं है । राजस्व निरीक्षण द्वारा इसी पंचनामें में यह भी

उल्लेख किया है कि खसरा नं0 392/1 में 392/3 से 392/19 तक सम्मिलित है। इस तरीके का उल्लेख कर पंचनामा तैयार किया जाना विधि के विपरीत है । इसी पंचनामा में यह भी उल्लेख किया गया है कि सीमावर्ती कृषक मोहनलाल के हस्ताक्षर नहीं किए । इस संबंध में यह निवेदन है कि सीमांकन कार्यवाही के संबंध में आवेदक को कोई सूचना पत्र सीमांकन दिनांक को उपस्थित रहने हेतु दिया ही नहीं गया है तो आवेदक के द्वारा सीमांकन दिनांक को उपस्थित होकर हस्ताक्षर किए जाने को मना करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । सीमांकन की सम्पूर्ण कार्यवाही अनावेदिका के पुत्र के प्रभाव में अवैधानिक रूप से करते हुये असत्य पंचनामा तैयार किया गया है । सीमांकन के समय उपयोग किए गए नक्शे का अवलोकन किया जाना नितांत आवश्यक है, जिसमें यह नोट लगाया गया है कि खसरा नं0 392 के खसरा में 19 बटांक है । अतः आवेदक का खसरा नं0 392 एवं 390 की मेड़ भी नापी गई है । खसरा नं0 392/2 स्वतंत्र है । शेष खसरा नं0 390/1 में सम्मिलित है । सीमांकन के सागर नक्शे में इस तरह का नोट लगाकर अवैध रूप से से सीमांकन की कार्यवाही करना अनावेदकगण को लाभ पहुॅचाने के उद्देश्य से की गई है । लिखित तर्क में यह भी कहा गया है कि राजस्व निरीक्षण मंडल सागर द्वारा दिनांक 23.06.2014 को किए गए सीमांकन के आधार पर दिनांक 04.07.2014 को अपना प्रतिवेदन तैयार किया गया है । उक्त प्रतिवेदन में राजस्व निरीक्षक सागर द्वारा स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि खसरा नं0 392 के खसरा में 19 बटांक है । खसरा नं0 392/2 शासकीय खसरा नं0 है। शेष खरा नं0 392/1 के साथ सम्मिलित है जो कि नक्शा में बटांक नहीं है । आवेदक एवं उपस्थितियों को खसरा नं0 392 एवं 390 के मध्य मेड़ नापकर बताई गई खसरा नं0 392/1 का नक्शे में पृथक बटांक न होने से सीमांकन संभव नहीं है । इससे यह स्पष्ट है कि अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा किया गये सीमांकन आवेदक के विपरीत जाकर सीमांकन कार्यवाही संपादित की है क्योंकि राजस्व निरीक्षण द्वारा यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि नक्शा में बटांक न होने के कारण सीमांकन की कार्यवाही की जाना संभव नहीं है । इसके उपरांत भी बिना किसी आधार के एवं बिना किसी नक्शे में बटांक के सीमांकन

की कार्यवाही संपादित की गई जिससे आवेदक की खसरा नं0 392/3 की भूमि प्रभावित हुई है उक्त सीमांकन नक्शे में 390/1 को नहीं दशार्या है और न ही उसकी स्थिति दशाई गई है । आवेदक द्वारा मौजा मकरोनियां का खसरा नं0 392 में से 0.47 डि0 भूमि बाबूलाल बगैर से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.06.1985 के द्वारा क्रय कर मालकाना व खास कब्जा बेनामा में दशार्या चर्तुसीमा के अनुसार प्राप्त किया था और उसी के अनुसार आज भी कब्जे में है । राजस्व निरीक्षक द्वारा अवैधानिक सीमांकन किए जाने के कारण आवेदक की भूमि एवं कब्जा प्रभावित और अनावेदकगण द्वारा आवेदक की भूमि हड़प किये जाने का कुप्रयास कर रहे है । आवेदक की भूमि खसरा नं0 392/3 खसरा नं0 392/1 में शामिल दर्शाकर आवेदक की खरीदशुदा भूमि ही गायब कर दी गई है । इस तरह किया गया सीमांकन पूर्णतः विधि के विपरीत है । सीमांकन की कार्यवाही प्रशासकीय है इस कारण इसके अधीन पारित आदेश के विरूद्ध अपील या पुनरीक्षण नहीं हो सकता परन्तु संहिता की धारा के अधीन किसी कार्यवाही भी नियमितता तथा वैधता का परीक्षण किया जा सकता है । इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए सीमांकन की वैधता कर परीक्षण कर गुण–दोषों पर आदेश पारित किया जाने का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को है । अंत में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदकगण प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहे, इसलिये अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । अनावेदक ने तहसील में खसरा नं0 392/1 के अपने हिस्से के सीमांकन के लिए आवेदन दिया । आवेदक की भूमि भी इसी खसरा नं0 392/1 में आती है । पटवारी की रिर्पोट के अनुसार 392/1 में 19 बटांक है जिनकी नक्शे में तरमीम नहीं हुई है । इसी कारण सीमांकन के दौरान 392/1 का सीमांकन न

कर खसरा नं0 392 तथा 390 की मेड़ नाप कर बताई गई । जबकि आवेदक ने सीमांक 392/1 का चाहा था तो 392/390 की मेड़ क्यों नाप कर बताई गई तथा उसमें आवेदक/अनावेदक के हिस्से की भूमि किस प्रकार प्रभावित हुई यह स्पष्ट नहीं किया गया है । बिना 392/1 के बटांक कायम (तरमीम) किए इस प्रकार का सीमांकन करना विधिक नहीं ठहराया जा सकता ।

6/ फलतः यह निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व निरीक्षक का आदेश दिनांक 05.07.2014 निरस्त किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर